



छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

Phone No- 0771-2422425, Email Id – secycgbse@gmail.com, Website- www.cgbse.nic.in

क्रमांक / 711 / गोपनीय / प्रायोगिक परीक्षा / 2025
प्रति,

रायपुर, दिनांक 01-01-26

समस्त केन्द्राध्यक्ष,
हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छत्तीसगढ़।

स्वाध्यायी/अवसर परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य हेतु निर्देश

विषय :- हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2026 की स्वाध्यायी/अवसर परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य एवं अंक प्रेषण संबंधी निर्देश।

—000—

विषयांतरगत लेख है कि हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2026 की स्वाध्यायी/अवसर परीक्षा में सम्मिलित छात्र/छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य निर्धारित परीक्षा समयावधि में दिनांक 20.02.2026 से 18.03.2026 के मध्य संबंधित संस्था/केन्द्र में संपन्न कराई जावे। उक्त तिथि से संबंधित विषय शिक्षकों और छात्र/छात्राओं को अवगत कराये, प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य में अनुपस्थित छात्रों को किसी भी दशा में विशेष अनुमति नहीं दी जावेगी और न ही दोबारा संपन्न करायी जायेगी। ऐसी स्थिति में छात्रों को अनुपस्थित ही दर्शाया जावेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी केन्द्र/संस्था प्राचार्य/छात्र/छात्राओं की होगी।

प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य एवं अंक प्रेषण हेतु निम्नानुसार आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें :-

- (01) आपका यह दायित्व होगा कि निर्धारित परीक्षा समयावधि में केन्द्र/संस्था स्तर पर ही बाह्य एवं आंतरिक परीक्षक नियुक्त कर प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य संपन्न कराये।
- (02) प्रायोगिक परीक्षा हेतु गत वर्षों की बची उत्तरपुस्तिकाओं का उपयोग करें तथा कमी होने पर स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करें।
- (03) प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य का आंतरिक मूल्यांकन संबंधित केन्द्र/संस्था स्तर पर ही किया जाना है।
- (04) पात्रता के अभाव में निरस्त किये गये छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य के अंक मण्डल द्वारा अमान्य कर दिये जायेंगे।
- (05) मण्डल द्वारा प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य के दौरान आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा। अतः गंभीरता के साथ प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य संपन्न कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- (06) प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य संपन्न उपरांत अंकों की ऑनलाईन प्रविष्टि दिनांक 25.03.2026 तक मण्डल पोर्टल पर करें तथा इसकी दो प्रतियाँ (हार्ड कॉपी) निकालकर संबंधित विषयों के बाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों से मिलान कराकर हस्ताक्षरित कराये, तत्पश्चात् पोर्टल लॉक करें। यह ध्यान रखें कि पोर्टल लॉक करने के पूर्व सभी प्रविष्टियों को अच्छी तरह से जाँच लेवे, क्योंकि पोर्टल लॉक करने के पश्चात् संशोधन संभव नहीं होगा। पोर्टल लॉक करने के पूर्व आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, पोर्टल लॉक करने के पश्चात् संशोधन हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन मान्य नहीं होगा।

निर्धारित तिथि के पश्चात् ऑनलाईन अंक प्रविष्टि एवं संशोधन हेतु पोर्टल खोलने पर प्रति दिवस, प्रति संस्था राशि 1000/- (एक हजार रुपये) की दर से विलंब शुल्क ऑनलाईन भुगतान करने पर संबंधित संस्था का पोर्टल दो (02) दिवस के लिये खोला जायेगा। विलंब शुल्क हेतु दिवस की गणना निर्धारित अंतिम तिथि 25.03.2026 के बाद से की जावेगी। विलंब शुल्क किसी भी परिस्थिति में छात्र/छात्रा से वसूल नहीं किया जाये।

- (07) प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य संपन्न उपरांत प्राप्तियों की सूची (हार्ड कॉपी) को बाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों तथा केन्द्राध्यक्ष/प्राचार्य के हस्ताक्षर उपरांत परीक्षावार/विषयवार लिफाफे में पैकिंग कर सील बंद करे तथा उत्तरपुस्तिकाओं को (हाईस्कूल परीक्षा-सफेद कपड़े में एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा-पीले कपड़े में) पैकिंग कर बण्डल बनाये, बण्डल को सील बंद करे, तत्पश्चात् बण्डल के ऊपर परीक्षा का नाम, वर्ष 2026, विषय का नाम, छात्र संख्या अंकित करे तथा अंकों के सील बंद लिफाफे एवं मूल्यांकित उ0पु0 के बण्डलों को परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 06 माह तक अपनी संस्था में सुरक्षित रखे। आवश्यकता पड़ने पर मंगाया जायेगा।

क्रमशः // 02 //

//02//

(08) हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य हेतु परीक्षकों के शेष निर्देश वर्ष 2019-20 के अनुसार यथावत रहेंगे, निर्देश पुस्तिका मण्डल वेबसाईट www.cgbse.nic.in पर अपलोड की गई है।

विशेष टीप :-

1. प्रायोगिक परीक्षा हेतु आपकी केन्द्र/संस्था पर आबंटित प्रति परीक्षार्थी हाईस्कूल के लिये रुपये 03/- एवं हायर सेकण्डरी के लिये रुपये 04/- की दर से (बाह्य एवं आंतरिक परीक्षक हेतु अलग-अलग) अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है। अग्रिम व्यय का हिसाब मय प्रमाणित व्हाउचर पृथक से वित्ताधिकारी, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना अनिवार्य होगा।
2. प्रायोगिक परीक्षा दो पाली में संचालित की जाये। प्रथम पाली समय प्रातः 8.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा द्वितीय पाली समय दोपहर 2.00 बजे से 5.00 बजे तक।
3. गत वर्ष प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य के अंकों में संशोधन हेतु कई संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुये थे। अतः यह ध्यान रखे कि पोर्टल लॉक करने के पूर्व सभी प्रविष्टियों को अच्छी तरह से जाँच लेवे क्योंकि पोर्टल लॉक करने के पश्चात् संशोधन संभव नहीं होगा। इसलिये पोर्टल में ऑनलाईन प्रविष्टि करने के उपरांत अंकों की पुनः जाँच करे, अंकों का 2-3 बार मिलान अवश्य करे, तत्पश्चात् पोर्टल लॉक करे। परीक्षाफल घोषणा के बाद अंकों में संशोधन मान्य नहीं किया जावेगा।
4. लेखक/प्रवाचक (Reader)/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा ऐसे छात्र जो 40% या उससे अधिक निःशक्त हो, को उसकी मांग के आधार पर उपलब्ध करावे।
5. कक्षा 12वीं में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन कार्य एवं दो प्रोजेक्ट केन्द्र/संस्था स्तर पर अनिवार्य रूप से कराया जावे तथा मण्डल द्वारा निर्धारित योजना अनुसार 50 अंकों की परीक्षा आयोजित कर छात्र/छात्राओं के प्राप्तांकों की ऑनलाईन प्रविष्टि दिनांक 25.03.2026 तक मण्डल पोर्टल पर अनिवार्य रूप से किया जावे।

(श्रीमती पुष्पा साहू) LAS
सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
रायपुर, दिनांक 01.01.26

पृ0 क्रमांक/712 /गोपनीय/प्रायोगिक परीक्षा/2025
प्रतिलिपि:-

- (01) अध्यक्ष/सचिव के निज सहायक, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को सूचनार्थ।
- (02) सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर छ0ग0 को सूचनार्थ।
- (03) संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर छ0ग0 को सूचनार्थ।
- (04) समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
- (05) समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को सूचनार्थ।
- (06) वित्ताधिकारी, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को समस्त संस्थाओं में प्रायोगिक परीक्षा के संचालन हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (07) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग-रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अंबिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (08) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छ0ग0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (09) समस्त सहायक सचिव/सहायक प्राध्यापक/संभागीय अधिकारी छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (10) समस्त प्राचार्य, (समन्वय संस्था) उ0मा0वि0 छ0ग0 की ओर प्रायोगिक परीक्षा/प्रायोजना कार्य की आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (11) प्रोग्रामर, डाटा कक्ष, छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर की ओर मण्डल वेबसाईट/संस्था प्राचार्य के आईडी में अपलोड करने एवं संस्थाओं द्वारा की गयी ऑनलाईन प्रविष्टि की सी0डी0 तैयार कर परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात् गोपनीय कक्ष को सौंपने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर